



राजस्थान RAJASTHAN

561269

पट्टा पंजीयन


Stamp 10000 X 2 = 20000/-

पट्टा संख्या 101, दिनांक 25.12.2012 कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना सीकर (राज.), राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा ओर आंवटन (नियम 2012) के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख नगरपालिका नीमकाथाना प्रथम पक्ष के नाम से जाना जावेगा एवं मांडिया शिक्षा समिति नीमकाथाना जरिये सचिव श्री महेन्द्रसिंह मांडिया पुत्र श्री बनवारी लाल मांडिया जाति अहीर व्यवसाय : निजी व्यवसाय निवासी ढाणी हेमावाली तन गोड़वास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) द्वितीय पक्ष के नाम से जाना जावेगा जो प्रशासन शहरों के संग अभियान नियमन शिविर 2012 योजना पेराफेरी क्षेत्र राजस्व ग्राम गोड़वास के खसरा संख्या 227/731/3 क्षेत्रफल 4887.75 वर्गगज भूखण्ड का 8 वर्षिय लीज शुल्क 2,34,612/-रुपये एवं विकास शुल्क 2,44,388/-रुपये इस प्रकार योग 4,79,000/-रुपये प्राप्त कर उक्त भूखण्ड का पट्टा संस्थानिक (शिक्षण) प्रयोजन के लिए जारी किया गया है। पट्टे में अंकित शर्तों की पालना वहक पट्टाधीरी द्वितीय पक्ष के द्वारा की जावेगी। संलग्न पट्टा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका नीमकाथाना द्वारा वाद जांच कर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है।

लगातार 2

मांडिया शिक्षा समिति
नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

SECRETARY
Mandiyा Shiksha Samiti
Neemkathana Sikar (Raj.)



राजस्थान RAJASTHAN

561270

उक्त पट्टा मय संलग्न नक्शा का पट्टा पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

नियमानुसार उक्त पट्टा का पंजीयन फरमाया जावे। फीस ५०।—

दिनांक : 28.12.2012

स्थान : नीमकाथाना

SECRETARY
Mandir Shiksha Samiti
Neemuchana Sagar (Raj.)

हस्ताक्षर गवाहान

1. रोहिताश यादव पुत्र श्री सांवलराम यादव उम्र 40 साल कौम अहीर निवासी मांकड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

2. फूलचन्द यादव पुत्र श्री हनुमान प्रसाद यादव उम्र 50 साल कौम अहीर निवासी डाबर, भूदोली रोड, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

3. उम्मेद/मिठू बुग्गी गोपत राम यादव उम्र 40 साल निं. मांकड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)



कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना

जिला-सीकर (राजस्थान)

पट्टा क्रमांक:- 101
दिनांक: 25/12/2012

नगरपालिका के सभी नियम (शावर के लिए उपयोग की अनुमति और आवंटन) नियम, 2012 के

नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

राजस्थान नगरीय क्षेत्र(वृष्टि भूमि का गैर-वृष्टिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुमति और आवंटन) नियम, 2012 के

नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2012 के माह दिसम्बर के 25 (पच्चीसवें) वे दिन नगरपालिका नीमकाथाना (जिन्हें इसके बाद नगरपालिका नीमकाथाना कहकर संबोधित किया गया है) विधायिका एवं मांडिया शिक्षा समिति नीमकाथाना जिरिये सचिव श्री महेन्द्रसिंह मांडिया पुत्र श्री लक्ष्मण राजेन्द्र मांडिया जाति- अहीर, व्यवसायः निजी व्यवसाय, निवासी छाणी हेमावाटी तन गोडावास 2270 नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज0) (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इवारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्याहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुख्यमन्त्री अलौदीन समिन्निलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सांक्षयांकित करता है कि प्रीनियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक(पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और उसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज मे नगर निर्याहक इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड(जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना पैराफेरी क्षेत्र राजस्थान गोडावास के खसरा संख्या 227/731/3 क्षेत्रफल 4887.75 वर्गांज में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णलपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्थानित संबंधी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात्:-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम(1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 2,34,612/- अंकहीं दो लाख चौंतीस हजार छ: सौ बारह रु0 मात्र पैशांनी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि घाटे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) को राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदर्भ के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विकाय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी शुद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यायामिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टा की अवधि:- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संस्थानिक (शिक्षण) प्रयोजन, जिसके लिए नगरनिकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट विबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, व्यायामिति अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में भूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य विबंधनों और शर्तों या किन्हीं प्रथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

उप पंजीयक
नीमकाथाना (सीकर)

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति ये प्रति प्रतिवर्ष संलग्न राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्थान की बकाया के रूप में लीजाधारक से चयनीय होगा।
9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेखप्रिय द्वारा उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुष्क्रियता द्वारा अभिप्राप किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सञ्जिमाण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में विहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की बुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड की सरकार/जीवन बीमा निगम/शिल्पइयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

कस्बे का नाम : नीमकायाना

राजस्थान ग्राम : नीमकायाना

खसरा संख्या : 227/731/3

योजना का नाम : पैराफेरी क्षेत्र

विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/मीटर 4887.75

(चार हजार आठ सौ सत्तासी पौर्वीट पिघेहतर वर्गगण)

इसके साक्षी के रूप में सत्तासी और तारीखों पर अपने -अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरपालिका की ओर से

आज सन् 2012 के माह दिसम्बर के 25 वें

दिन श्री केशवदेव मोदी व श्री रविन्द्र सिंह ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये:-

साक्षी :-

1. नाम श्री प्रह्लादराय यादव
पुत्र श्री रामेश्वरलाल यादव
व्यवसाय वरिष्ठ लिपिक, न००पा० नीमकायाना
निवास स्थान नगरपालिका नीमकायाना

2. नाम श्री ब्रजमोहन सैनी
पुत्र श्री प्रभूदयाल सैनी
व्यवसाय साब नाकेदार न००पा० नीमकायाना
निवास स्थान नगरपालिका नीमकायाना

आज सन् 2012 के माह दिसम्बर के 25 वें दिन वो निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त नांडिया शिक्षा समिति नीमकायाना जरिये सचिव श्री महेन्द्रसिंह नांडिया पुत्र श्री बनवारीलाल नांडिया लीजाधारक द्वारा कार्यालय न००पा० नीमकायाना में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी :-

1. नाम छांचनी पाल सैनी
पुत्र रमेशन शर्मा
व्यवसाय लोकप्रिय (रेलवे)
निवास स्थान छांचनी पाल सैनी, न००पा० नीमकायाना
त००पा० नीमकायाना (रेलवे)

2. नाम भूलाल राम
पुत्र भूलाल राम
व्यवसाय लोकप्रिय (रेलवे)
निवास स्थान छांचनी पाल सैनी, न००पा० नीमकायाना
त००पा० नीमकायाना (रेलवे)

नियमन शिविर 2012

नगरीय विधारण या व्याज,

अधिनियम, 1956 के अधीन

परिशिष्ट

पूर्व संलग्न नवशे पश्चिम संलग्न नवशे भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो.....

सीमा उत्तर संलग्न नवशे दक्षिण संलग्न नवशे के अनुसार मानवित्र संलग्न है।

१११३

अध्यक्ष
अध्यक्ष
नगरपालिका नीमकायाना

अधिकारी अधिकारी
अधिकारी अधिकारी अधिकारी
नगरपालिका नीमकायाना

१११४

साक्षी

१११५

लीजाधारक-द्वितीय पक्ष

१११६

साक्षी

१११७

साक्षी

उप पंजीयक
नीमकायाना (सीकर)

NAGAR PALIKA NEEM KA THANA (SIKAR)

MANDIYA SHIKSHA SAMITI NEEM KA THANA


DIST. :— SIKAR (RAJ.)

LAND AREA (Sq.Yd.) :— 4887.75

PATTA NO. :— 101/25-12-2012

SCALE :— 1" = 40"

उत्तर दिशा



KALU RAM, MADU RAM

133'

MALI RAM ,
ARJUN LAL Etc.

MALI RAM ,
ARJUN LAL Etc.

AREA—4887.75 SQ.YD

43989.75 sq.f.t.

345'-6"

316'

शामिल
रहे।
उप पंजीयक नीमकाथाना

ROAD-30'-0"



कनिष्ठ अभियन्ता

नगर पालिका नीमकाथाना

अध्यक्ष

नगर पालिका नीमकाथाना

अध्यक्षाची अधिकारी
नगर पालिका नीमकाथाना

डिजिटल सेक्युरिटी
ZAKIR HUSSAIN DESIGN
CONSULTANCY PVT LTD



Scanned with OKEN Scanner